22/08/2021 पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता उभयपक्ष उप०।

दिनांक 10/08/2021 को अधिवक्ता श्री मोहनलाल बिश्नोई ने उप. हाजर होकर रेस्पोन्डेन्ट 03 की तरफ से वकालतनामा मय प्रार्थना-पत्र वास्ते सुनवाई का अवसर देने बाबत पेश किया शामिल मिसल हो।

अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश कोविड-19 के काल में पारित किया गया। माननीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश की गई जिसमें अपीलांटगण द्वारा एक प्रस्ताव पेश कर निवेदन किया कि मौका कमी दिनांक 21/12/2020 के संलग्न नक्शा C से E है जिसमें बिंदु C से D राज्य सरकार को समर्पण की हुई है तथा D से E बिंदु तक निशुल्क देने हेतु सहमत हैं जो रास्ता दिया जाता है तो हम अपीलांटगण को कोई आपत्ति नहीं है।

अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि हम पक्षकारान को रास्ते की आवश्यकता है अपीलांटगण जिस साईड से निशुल्क रास्ता दे रहे हैं हम लेने को तैयार हैं।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाडमेर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	रेस्पो. संख्या 03 के अधिवक्ता ने रेस्पो. [illegible] बहस करते हुए निवेदन किया कि मैं आवश्यक पक्षकार हूँ तथा रास्ता निकालने वाली भूमि 1/3 का हिस्सेदार तथा 1/3 हिस्से का खेत पुत्र किसनाराम तथा चुनी देवा मिश्रा का हक है। जबकि भाग 1/3 हिस्से पर पुत्र गोकले द्वारा सहमति देने से अपील का निस्तारण किया जाना अनुचित है। माननीय न्यायालय ने जहां से रास्ता दुरस्त किया वहां पर केशाराम का बारानी कब्जा काश्त है तथा पक्का घर बना हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निकटतम रास्ता दिया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तावित रास्ते को बहाल रखा जाता है तो मुझ प्रार्थी को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनी गई। बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर न्यायालय का निष्कर्ष है कि अपीलांट संख्या 01 द्वारा बिंदु संख्या C से E को रास्ता देना निकटतम प्रस्तावित	

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	किया उक्त खाते के अन्य खातेदारों द्वारा सहमती नहीं दी जाने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में संशोधन किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन रास्ता निष्कासन एवं सुगम रास्ता प्रदान किया गया है। रेस्पो. पार्टी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता होने एवं अपीलांट द्वारा प्रस्तावित रास्ते पर समस्त खातेदारों की सहमती नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया रास्ता अपीलांट के नहीं देने की नीयत साफ झलकती है। अतः अपीलांट की अपील खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 29/06/2021 को पारित आदेश को यथावत रखा जाता है। राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर	